

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

हस्तीमल पुत्र आसुराम
जाति मेगवाल निवासी सराना
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

बनाम

1. प्रागाराम पुत्र हिमताराम जाति मेगवाल
निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी
2. सवाराम पुत्र कलाराम जाति मेगवाल
निवासी सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

सिणधरी

मुकदमा संख्या 34/2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
04.2.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया की ओर से एक राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता की अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने बाबत पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने तर्क दिये कि प्रार्थी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है, कि मौजा किशनपुर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 260/16 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्ड खतेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 01 से जरिये बेचानपत्र के क्रय की गई थी और उक्त बेचानपत्र में प्रार्थी को मेगा हाईवे की सड़क पर भूमि बेचान की गई थी। प्रार्थी का बेचानपत्र के अनुसार ही वक्त बेचान से आदिनांक तक चल आ रहा है। लेकिन तहसील सिणधरी के आनलाईन होने से तरमीम मौके के विपरीत दिशा में कर दी गई। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से की शेष भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को प्रार्थी के कब्जा शुदा को बेचानपत्र में दर्शाते हुए कर दिया गया। जिसके कारण विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि पर अवैध कब्जा करने पर उतारू है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी की खातेदारी भूमि की मौके स्थिति में फेरबदल किया जाता है। तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हाँगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे, कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन</p>	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

5-4-2022

किया। जिसमें पाया कि मौजा किशनपुर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 260/16 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जिससे प्रमाणित है कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है और रिकार्ड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा करने के हकदार है एवं यदि दौरान विचारण वाद प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी पक्ष द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करता है अथवा प्रार्थी की खातेदारी भूमि की मौके की स्थिति में फेरबदल करने की कोशिश की जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना बढ़ती है और पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है एवं वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगीया बढेगी। एवं प्रस्तुत रेकर्ड व वकील प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्यता प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी का बनना प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थान आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को आगामी पेशी तारीख 17.2.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा किशनपुर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 260/16 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टर भूमि के संबंध में दखलवान्जी नहीं करें। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया जावे। नोटिस दस्ती वकील प्रार्थी को दी जावे। पत्रावली वास्ते-विप्रार्थीगण की तलबी व जबाब हेतु दिनांक 17.2.2022 को पेश हो।



सहायक कलेक्टर

(S.D.C.) सिणधरी

17.2.2022 वकील प्रार्थीगण उपरिमत / विप्रार्थी की पक्षी इंतजार होकर दिनांक 09.9.22 को चेरा ले।



सहायक कलेक्टर

S.D.C. सिणधरी

09.3.2022 वकील प्रार्थीगण उपरिमत / विप्रार्थी संख्या 03 की शेर ले 00 राफ्त परेकार NT उपरिमत / शेर सिडानीर या इंतजार होकर सिडानीर 5-4-22 को चेरा हो।



सहायक अधीक्षारी

सिणधरी

सं. 1

34/2022

05.4.2022 वकील डा.जी अनुपमसिंह / विद्याजी
का उत्तरादेश 2022 दिनांक 05.5.22
को चेक है
शुभ

सदर मुद्रा
SDO सिपाही

5/5/2022 वकील डा.जी उपमसिंह / विद्याजी का
देशीक 2022 दिनांक 9.6.22 को चेक
है।

शुभ
सदर मुद्रा
SDO सिपाही

06/6/22

वकील प्र. गा. उ. उ. उ. 2021 को जहाँ फेलोसिप सिद्धि
का.प. वचन प. 20... सिद्धि के चेक है। पक्षकार ने
उत्तरित नहीं है। के कारण प्रकरण में कार्य नहीं सम्भव नहीं है।
कारण: पक्षकी वारी... त. 04 की... सु. सिद्धि...
09.6.22 को पेश है।

शुभ
सदर मुद्रा
सदर मुद्रा
सदर मुद्रा

9.6.22 वकील डा.जी उपमसिंह / विद्याजी का
उत्तरादेश का उत्तरादेश 2022 दिना
प्रकार सिद्धि (4.7.22 को चेक है।
शुभ

सदर मुद्रा
SDO सिपाही

14.7.2022 वकील डा.जी उपमसिंह / विद्याजी का
1 न 2 के वमालनाम उत्तरादेश
देशीक दिनांक 18/8/22 को चेक
है।

शुभ
सदर मुद्रा
SDO सिपाही

24/2022

0.3.23 परखती की ठहरी

~~खार रसोमिण्डेन ह्य रेशिरम रखा~~

~~लोरे के पणवरी हतखा सिग~~

~~प्राशेदा 11.4.23 को रप ले~~

सहायक कमिश्नर
SDO सिंगर

12-4-20

~~दि. 11-4-23 को हबकास ले ले~~

- पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उप। विप्रार्थी सं. 1 के वकील अनुपस्थित।

प्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151. C-P-C-वास्ते जारी करने मौके की अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ रेकॉर्ड की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने पेश किया, जिस पर बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का सिणधरी में खसरा संख्या 260/16 (16/63) रकबा 0.1618 हैक्टेयर का आया हुआ है और साथ में ही विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 261/16 रकबा 0.6472 हेक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी के द्वारा मूल खसरा संख्या 16/63 से दिनांक 10-11-2017 को जरिये पंजीयन बैचान से खरीद किया गया था और मौके पर विप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को कब्जा करवा दिया गया था और प्रार्थी के द्वारा मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी आदि करवाकर अपने हिस्से की भूमि पर बेचान पत्र के अनुसार कब्जा आदि सुरक्षित किया गया जो आज दिन तक मौके पर चलता आ रहा है। कि राजस्व विभाग के कार्मिको द्वारा प्रार्थी के खसरे में जो वर्तमान में तहसील के आनलाईन होने से तरमीम को मौके की स्थिति व बेचान पत्र में दर्शाये गये नक्शे व दिशा के विपरीत नक्शे में तरमीम को कर दिया गया है। इस प्रकार से भारी अनियमितता व मौके से बदलाव व बेचान पत्र से अलग नक्शे में तरमीम को कर दिया गया है जबकि लठा ट्रेस में आज दिन तक कोई तरमीम नहीं की गई है। कि विप्रार्थी संख्या 01 सहायक कमिश्नर के द्वारा वक्त बेचान पत्र में जो नक्शा व दिशा को बताया गया है जो अपने खेत के किनारे पर दक्षिण दिशा में चल रहे मेगा हाईवे की सड़क पर प्रार्थी को बेचान कर कब्जा दिया गया था और मौके पर भी प्रार्थी का कब्जा आ दिन तक उसी अनुसार है। मेगा हाईवे जो दुसरे राजस्व ग्राम में होने के कारण नक्शे में दिखाई नहीं दे रहा है और खेत के अन्तिम किनारे पर उत्तर दिशा में चल रही अन्य सड़क जो दिखाई दे रही है जिसे राजस्व कर्मचारी ने राजस्व रेकॉर्ड को आनलाईन करते वक्त हाइवे मानकर गलत रूप से तरमीम कर दी गई है जिसमें सुधार करना आवश्यक है। जो गलत है जिसे मौके व कब्जा काश्त के अनुसार मेगा हाइवे की सड़क पर दक्षिण दिशा की और किया जाना आवश्यक है। कि उक्त गलत तरमीम होने से ग्राम किशनपुरा के खसरा संख्या 261/16 के खातेदार विप्रार्थी प्रागाराम के द्वारा दिनांक 10-01-2022 को अपने हिस्से की शेष भूमि 0.6472 हैक्टेयर में से

सहायक कमिश्नर
SDO सिंगर

0.4854 हैक्टयर तथा शेष रकबा 0.1618 हैक्ट दिनांक 25.05.2022 को भूमि का बेचान सवाराम पुत्र कलाराम, जाति-मेगवाल, निवासी-सिणधरी चौसिरा को कर दिया है, जिसका नामान्तकरण भी भर दिया गया है। और विप्रार्थी के द्वारा लगातार अपने खसरे में खसरे की किस्म में बदलाव किया जा रहा है। और नक्शे में तरमीम को लगातार बदल रहा है और प्रार्थी के तरमीम दुरस्त होने से पहले अन्य बेचान करने व नया नामान्तकरण व तरमीम करने की कोशिश में हैं यदि अगर ऐसा हो जाता है तो प्रार्थी के आवेदन लाने का प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा तथा प्रार्थी के अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नकदी से सम्भव नहीं होगी। प्रार्थी के द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में अपने खसरे की तरमीम दुरस्त करने का आवेदन अनवान हस्तीमल बनाम प्रागाराम मु.नं. 31/2022 पेश है, जिसमें मौका रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से जरिये पत्रांक 507 दिनांक 21.03.2023 के श्रीमानजी के समक्ष पेश हो चुकी है। और आवेदन लम्बित है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि प्रार्थी का अपना कब्जा-काश्त है व अपने हिस्से के अनुसार बाड़ बनाई हुई है व अपने खेत की तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध विप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमायें कि मौजा किशनपुरा, पटवार हल्का सिणधरी के खसरा संख्या 260/16, 344/325, 346/326, 345/326, 343/325 भूमि में मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें जाने का आदेश प्रदान करावें तथा विप्रार्थी सवाराम प्रार्थी की बाड़ को न हटावें व प्रार्थी के हिस्से में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करें।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी मौजा किशनपुरा, पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी के मूल खसरा नम्बर 16/63 रकबा 0.8090 हैक्टयर में हुए विभिन्न बेचान इत्यादि के दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण बेचान पत्र अनुसार कब्जे काश्त के अनुरूप तरमीम नहीं होकर उसके विपरीत किये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर है, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने इस वाद के अलावा तरमीम दुरस्ती का भी प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जहां तक प्रार्थी का अभिकथन है कि उक्त गलत तरमीम होने से ग्राम किशनपुरा के खसरा संख्या 261/16 के खातेदार विप्रार्थी प्रागाराम के द्वारा अपने हिस्से की समग्र भूमि 0.6472 हैक्टयर का बेचान विप्रार्थी सं. 2 सवाराम पुत्र कलाराम, जाति-मेगवाल, निवासी-सिणधरी चौसिरा को कर दिया है, जिसका नामान्तकरण भी भर दिया गया है। दिनांक 04.02.2022 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने के बाद भी विप्रार्थी के द्वारा गलत तरमीम का नाजायज फायदा उठाते हुए लगातार अपने खसरे में आगे से आगे बेचान के जरिये बदलाव किया जा रहा है। और नक्शे में तरमीम को लगातार बदलते हुए प्रार्थी के तरमीम दुरस्त होने से पहले अन्य बेचान करने व

31/2024

नया नामान्तरण व तरमीम करने की कोशिश में हैं यदि अगर ऐसा हो जाता है तो प्रार्थी के आवेदन लाने का प्रयोजन ही निष्कल हो जायेगा तथा प्रार्थी के अधिकारों पर भारी कुठाराघात होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगिया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मददनेजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ताफसला मूलवाद के निस्तारण तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि मौजा किशनपुरा, पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी के मूल खसरा नम्बर 16/63 रकबा 0.8090 हेक्टर से तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट अनुसार विभक्त होकर नये कायम हुए नये खसरा नम्बर 260/16, 346/326, 345/326, 343/325 की भूमि के संबंध में किसी प्रकार की मौके की स्थिति में रद्दोबदल/परिवर्तन इत्यादि नहीं करते हुए उसके मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दपतर एवं नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी